

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस

मि०न० - 208 / 2022

अनवान : -

1. भागवन्ती पत्नी कृष्ण जाति माली निवासी सहारणी त० टिब्बी।

:-वादीया

बनाम

2. मन्जूल सैनी पुत्र सत्यपाल जाति माली निवासी सहारणी त० टिब्बी
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता वादी श्री सुभाष गर्ग व अधिवक्ता प्रतिवादी श्री करनैल सिंह की उपस्थिति में वाद-वादीया मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा चकन० 5 सीडीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 47/46 में कुल 2.150 है० मुश्तर्का खातेदारी वादीया एवं प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


वादीया भागवन्ती पत्नी कृष्ण जाति माली निवासी सहारणी :- चकन० 5 सीडीआर के खाता सं० 47 / 46 के प०न० 229/231 मु० 5 किलान० 3/1/.031 है० पूर्वी दिशा, 8/.032 है०, 13/.032 है०, 18/.032 है० प्रत्येक पूर्वी दिशा, 14, 17 कुल 0.633 है०

प्रतिवादी सं० 1 मन्जूल सैनी :- चकन० 5 सीडीआर के खाता सं० 47 / 46 के प०न० 229 / 231 मु० 5 किलान० 3/1/0.197, 3/2/.025 है० रास्ता, 8 / 0.221, 13 / 0.221, 18/.221, 21/2 /0.126 है०, 22, 23 है० कुल 1.517 है०।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

पर्चा डिक्री दिनांक 10/7/25 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी
जिला हनुमानगढ़